न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 64 / 2021 आवेदन 251–क

मोहरीदेवी पत्नी हरदेवाराम जाति– जाट निवासीनी– गॅनोड़ा हाल निवासीनी– लक्ष्मीपुरा, करड, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)

– प्रार्थीया

ब ना म

1. रंगलाल पुत्र मोहरू
2. बिमला पुत्री मोहरू
3. झूमर पुत्री मोहरू
4. बवूदेवी पुत्री मोहरू समस्त जाति– बलाई निवासीगण लक्ष्मीपुरा, तन– करड, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)
5. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री योगेश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

नि र्ण य **दिनांक – 22.07.2024**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवार हल्का करड़ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करड, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में आवेदित रास्ता करड से चक जाने वाली ग्रेवल सड़क से भूमि खसरा न. 2730 / 16 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थीयां की भूमि खसरा न. 15 रकबा 2.9300 हैक्टर में जाने हेतु 4 मीटर चौड़ा व 178 मीटर लम्बा आगे जाकर उक्त रास्ता जो प्रार्थीयां स्वयं की भूमि में चला जाता हैं (जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नक़ल सलग्र हैं) उपरोक्तनुसार प्रार्थीया को अपने उक्त खेत खसरा नंबर 15 रकबा 2.9300 हैक्टर वाकै ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करड तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा न. 2730 / 16 ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करड की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 178 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा प्रार्थीयां की भूमि तक (खसरा न. 15 प्रार्थीयां की भूमि में) मिलता हुआ रास्ता, चाहती है। चाहे गये रास्ते का अंकन सलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याई से दर्शाया गया हैं, चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं, उक्त वर्णित कृषि भूमिया एक ही पटवार

हल्का क्षेत्र मे है, प्रार्थीया को अपने खेत में पहुचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है, उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीया अपने खातेदारी के उपयोग–उपभोग करने, अपनी रिहायशी ढाणी में आने जाने, पशुधन आदि को लाने ले जाने, वाहन ट्रेक्टर, लड्डा– गाडी आदि लाने ले जाने से पूर्णतया वंचित हो जायेगी यह प्रार्थना पत्र खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु प्रस्तुत न करते हुए खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग के लिए पहुंचने बाबत वांछनीय एकमात्र रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, एवं इस्तदुआ प्रस्तुत कर रही है, कि हमारी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा न. 15 रकबा 2.9300 हैक्टर किस्म बारानी–3 कुल किता 1 कुल रकबा 2.9300 हैक्टर वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित हैं एवं खातेदारी में उक्त भूमि सम्पूर्ण प्रार्थीयां के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं तथा सदैव से ही प्रार्थीयां के कब्जे काश्तशुदा रही हैं, जिसके उपयोग–उपभोग हेतु वांछित एकमात्र रास्ता जो मुख्य आम करड से चक जाने वाली ग्रेवल सड़क से भूमि खसरा न. 2730 / 16 ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करड की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे सहारे 178 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा प्रार्थीयां की भूमि में मिलता हुआ इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 712 वर्गमीटर रास्ता चाहते हैं, जो दिलवाने की कृपा करे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील योगेश शर्मा हाजिर आये तथा बाद में निवेदन किया कि पक्षकार की ओर से पैरवी करने के कोई निर्देश नहीं है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3. प्रार्थना–पत्र में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के तहत रिपोर्ट पेश। वकील योगेश शर्मा ने पक्षकार से सम्पर्क न होना बताया न ही अप्रार्थीगण उपस्थित। अतः आवेदन में एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. मैंने प्रार्थना पत्र, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पेश रिपोर्ट, मौखिक बहस, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 का अवलोकन व मनन किया। धारा 251–ए में मूलतः रास्ता 3 शर्त में दिये जाने का प्रावधान है :–

   1. वैकल्पिक मार्ग का अभाव हो।
   2. निकटतम रास्ता ही देय है।
   3. रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हो।

5. वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया ने अपनी जोत भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 2.93 हैक्टर में पहुच हेतु खसरा नम्बर 2730 / 16 से रास्ता चाहा है व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पास अपनी जोत में पहूच हेतु किसी भी प्रकार का रास्ता न तो कटान में है न ही मौके पर है तथा उक्त भूमि पर पहूच हेतु निकटतम रास्ते खसरा

नम्बर 22 गै0मु0 रास्ते से होते हुए खसरा नम्बर 2730/16 की दक्षिण सीमा की सहारे
रास्ता निकटतम दूरी का है तथा उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी की दुगुनी
किमत 64464 रूपये होती है प्रस्तावित रास्ते पर कुछ पेड़ भी रिपोर्ट मे बताये है। अतः
यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पास अपनी जोत पर पहूच हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है
व खसरा नम्बर 2730/16 में से चाहा गया व प्रस्तावित रास्ता ही न्युनतम दूरी का है
व रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक है न कि सर्फ सुविधाजनक उपभोग हेतु।

6. अतः धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) 1955 के नियम 68 से 70 के प्रावधानो के तहत की गयी जाँच, जिसका विवेचन ऊपर किया गया है, के आधार पर मेरा यह समाधान हो जाता है व मै संतुष्ट हो जाता हू कि प्रार्थीया के पास अपनी जोत तक पहुँच हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है व रास्ते की आवश्यकता आत्यतिक है न कि सिर्फ सुविधाजनक उपभोग हेतु व चाहा गया एव प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम दूरी का है। अतः प्रार्थीया का आवेदन अंतर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है तथा भू-अभिलेख करड़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के खेत भूमि खसरा नम्बर 15 में जाने हेतु खसरा नम्बर 2730/16 की दक्षिण सीमा के सहारे-सहारे ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करड़ तहसील दांतारामगढ में से 0.0936 हैक्टर अर्थात 936 वर्गमीटर जिसकी डी.एल.सी. दर 344349 रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी कीमत 64464 रूपये अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (i) (ii) (a) के तहत प्रतिकर के रूप में प्रार्थी द्वारा कोष में जमा कराने के पश्चात् दिया जावे। हालांकि उक्त रास्ते की भूमि में दर्शाये पेड़ो को न काटा जावे व उनको बचाते हुए रास्ता कायम किया जावे तथा उक्त पेड़ो के पास जो भूमि रास्ते के लिए बढती है उस भूमि का भी क्षैत्रफल नापकर बढे हुए क्षैत्रफल की प्रतिकर की राशि डी.एल.सी की दुगुनी किमत से राजकोष में जमा कर अप्रार्थीगण को दिया जावें। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि प्रार्थीया से प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात उक्त रास्ते को मौके पर नपती अनुसार सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। उक्त रास्ता गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज होगा जिसमें प्रार्थीया को रास्ते के अलावा अन्य कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशानदेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ